न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 27 /2013 जिला सीकर ।

छीतरमल पुत्र भैरू राम , जाति कुमावत, निवासी बाजौर, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. घीसा पुत्र रामू
2. मनभरी पुत्री रामू
3. आनी पुत्री रामू
   जाति कुम्हार, निवासीगण बाजोर कहारों की ढाणी, तहसील व जिला सीकर ।
4. ग्रम पंचायत बाजौर जरिये सरपंच तहसील व जिला सीकर
5. शिव भगवान पुत्र औंकार मल जाति जाट, निवासी सिंगडोला छोटा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
6. रामनिवास पुत्र गोपीराम जाट, निवासी नेतडवास, तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.4.2013

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आत्माराम शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक– 30.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 16.4.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बाजौर, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 152 रकबा9 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 462 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 463 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1/4 हिस्से का खातेदार रामू था । खातेदार रामू के कौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 214 ग्रम पंचायत बाजौर द्वारा दिनांक 5.7.1974 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा पुत्र रामू के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर मृतक खातेदार रामू की पुत्रियां मनभरी व आनी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.4.2013 पारित किया कि ''अपीलान्ट रामू की जायन्दा पुत्रियां है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामू की मृत्यु होने पर अपीलान्ट्स की माता लादी

द्वारा हणमान से पुर्नविवाह के बाद पैदा हुआ, जिसका की मृतक रामू की संपत्ति में काई विधिक हक हिस्सा नहीं बनता हैं । अपीलांट ही मृतक रामू की विधिक वारिसान व प्रथम श्रेणी की वारिस है । ग्रम पंचायत बाजौर द्वारा भरा गया ना.क. स. 214 सर्वथा गलत रूप से भरा गया है । साथ ही आवेदन अतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन जो अपील के साथ लगाया गया है , वो भी स्वीकार किये जाने योग्य समझते हैं, क्योंकि अपीलांट मृतक रामू की विधिक वारिसान व प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में भरे गये ना.क.सं. 214 विधिक व प्रथम श्रे ी के वारिस होने के बावजूद अनाधिकृत व्यक्ति से भरा गया है । अतः आवेदन अं. धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर राजस्व ग्रम बाजौर तहसील जिला सीकर की कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 152, 462, 463 के बाबत अपीलांट के पिता रामू की विरासत का ना.क.सं. 214 जो रेस्पों. संख्या 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया है, को निरस्त कर उसके पश्चात् के समस्त इन्द्राज को निरस्त कर नये खसरा नम्बर 262 रकबा 2.46 है. एवं खसरा नम्बर 515 रकबा 0.37 है. वाके ग्रम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर में रेस्पों. संख्या 1 व 2 के स्थान पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश दिये जाते हैं ''।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट छीतरमल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.4.2013 निरस्त कर नामांतरकरण सख्या 214 यथावत कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार से वर्ष 1999 में क्रय की थी तथा क्रय के बाद से ही विवादितभूमि पर काबिज चला आ रहा है । विवादित भूमि में अपीलार्थी ने अपने खर्चे से ट्यूबवैल व रिहायशी मकानात बनाये हैं तथा परिवार सहित निवास कर रहा है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 का विवादित भूमि से कभी भी किसी भी पकार का कोई संबंध, हक व अधिकार नहीं रहा । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामातरकरण 25.7.74 को तस्दीक हुआ था जिसके खिलाफ 38 साल के निराशाजनक विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के संबंध में प्रस्तुत धारा 5 मिया.द अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज किया जाना न्यायोचित नहीं है । न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद

के बिन्दु को तय करना चाहिये यदि विलम्ब का कारण संतोषजनक एवं उचित हो तो विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिये अथवा विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में प्रकरण मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किया जाना चाहिये । उनका कहना था कि अपीलान्ट की तामील कराने तहसील सीकर का तामिल कुनिन्दा उनके पास आया ही नहीं ना ही अपीलार्थी ने कभी भी सम्मन लेने से मना किया । तामिल की समस्त कार्यवाही तहसील में बैठे बैठे ही साजबाज होकर की गई थी । सम्मन पर तथाकथित दो गवाहान के हस्ताक्षर है वे उस गॉव के है ही नहीं , सम्मन पर उनका पता आदि अंकित नहीं है । उनका कहना था कि अपीलार्थी की विधिवत तामिल कराये बिना ही उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही कर एकपक्षिय निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । अपीलार्थी विवादित भूमि का विधिवत केता होने से हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है जिसे प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । रेस्पोंडेन्ट्स 2 व 3 के यदि विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार बनते हैं तो उन्हें विवादित भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करनी चाहिये । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट्स 2 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार रेस्पोंडेन्ट्स 2 व 3 के पिता रामू पुत्र मंशा था तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की माता का नाम लादी था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता रामू के फौत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स 2 व 3 की माता लादी ने रेस्पोंडेन्ट के दादा मंशा के भाई लादू के बेटे हणमान से पुर्नविवाह कर लिया था । हणमान एवं लादी से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा का जन्म हुआ था । कानूनन पुर्नविवाह के बाद उत्पन्न संतानों का उस महिला के पूर्व पति की सम्पत्तियों में कोई हक व अधिकार नहीं बनता है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार रामू की विरासत के नामांतरकरण में उसकी जायन्दा पुत्रियों को छोडकर लादी के हणमान से पुर्नविवाह बाद उत्पन्न संतान रेस्पोंडेन्ट घीसा के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक होने के बाद नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टड विक्रय पत्र अपीलान्ट के नाम करा दिया और विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 82 केता अपीलान्ट के नाम तस्दीक हो गया । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 विवादित भूमि के मृतक खातेदार रामू की जायन्दा पुत्रियॉ है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपने पिता की भूमि में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । विलम्ब के आधार पर किसी

का भी हक समाप्त नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में विवादित भूमि के खातेदार रामू की विधिक वारिसान व प्रथम श्रेणी की वारिस होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त कर उसके पश्चात् के समस्त इन्द्राज को निरस्त कर नये खसरा नम्बर 262 रकबा 2.46 है. एवं खसरा नम्बर 515 रकबा 0.37 है. वाके ग्रम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर में रेस्पों. संख्या 1 व 2 के स्थान पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश दिये गये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है जिन्हें यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार रामू पुत्र मंशा की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में है । मृतक खातेदार रामू की विरासत का नामांतरकरण संख्या 214 दिनांक 5.7.1974 का ग्रम पंचायत बाजौर द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा पुत्र रामू के नाम तस्दीक कर दिया और मृतक खातेदार रामू की पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 मनभरी व आनी को छोड दिया गया । विवादित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा ने अपीलान्ट छीतरमल कुमावत को कर दिया । अपीलान्ट विवादित भूमि का विधिवत केता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की 38 साल की निराशाजनक विलम्बित अपील का स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण एवं उसके पश्चात् के समस्त इन्द्राजात निरस्त कर नये खसरा नम्बर 262 रकबा 2.46 है. एवं खसरा नम्बर 515 रकबा 0.37 है. वाके ग्रम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर में रेस्पों. संख्या 1 व 2 के स्थान पर अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश दिये गये हैं । चूंकि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 घीसा का नाम राजस्व अभिलेख में आने के बाद उसके द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.2.99 से अपीलान्ट छीतरमल को विक्रय करदी और केता छीतरमल के नाम नामांतरकरण संख्या 82 दिनांक 9.7.99 को ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया है । उप खण्ड अधिकारी के अपीधीन निर्णय के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मनभरी व आनी ने विवादित भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 शिव भगवान व रामनिवास जाति जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.5.2013 द्वारा विक्रय करदी । हम समझते हैं कि अपीलान्ट छीतर मल विवादित भूमि का विधिवत केता है और अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार था जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना व बिना सुने अपीलान्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर

अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । इस अपील के रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 शिवभगवान व रामनिवास भी विवादित भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विधिवत क्रेता है जो भी हितबद्ध व प्रभावित व्यक्ति है जिन्हें भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुये विवादित भूमि के क्रेताओं को भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.4.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विवादित भूमि के क्रेताओं को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय दिनांक दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर